

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)::

दिनांक— 29.7.26

सं०-17/स्था०(कार्य०प्रभार)-22-03/2026 13776/सा०प्र०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6053 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) का वैचारिक लाभ प्रदान किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-28 पर अंकित श्री रामप्रीत प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति की तिथि टंकण भूलवश 31.03.2020 अंकित हो गया है। श्री प्रसाद की सेवानिवृत्ति की सही तिथि-29.02.2020 है। अतः श्री रामप्रीत प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि-31.03.2020 के स्थान पर 29.02.2020 पढ़ा जाय।

3. सन्दर्भित अधिसूचना की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-03/2026 13776/सा०प्र०, पटना-15, दिनांक- 29.7.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग/सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री रामप्रीत प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी /प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।